<u>enil</u>

ार्यातय अधीयण पुरातत्वविद मारतीय पुरातत्व सर्वसण कोलकाता मण्डल

सी॰ जी॰ ओ॰ कॉप्लेक्स (चौथी मंजिल)

व्याक · ठी० एफ०, सेक्टर 1 साल्ट लेक सिटी

कोलकाता- 700 064 दूरमाप : (033) 2334-4389 (टी॰-एफ॰)

2334-3775

इ-मेल : circlekol.asi@gmail.com

क्र सं-

टिनांक

200

भारत सरकार GOVERNMENT



Office of the Superintending Archaeologist Archaeological survey of India Kolkata Circle C. G. O. Complex (4th Floor) Block-DF, Sector-1 Salt Lake City Kolkata - 700 064

Phone : (033) 2334-4389 (T.F.) 2334-3775

E-mail : circlekol.asi@gmail.com

No KC/E-ticket/2018 - 1847

Date - 8 AUG 2018 20

CIRCULAR

Kindly find enclosed herewith a copy of Gazette Notification No. G.S.R.'726 (E) published in Gazette of India on 01.08.2018 for revision of entry fees at all the ticketed monuments under Archaeological Survey of India.

In this regard, it is to mention here that the revised entry fees in respect of centrally protected ticketed monuments under ASI, Kolkata Circle will be as mentioned below:

Sl. No.	Name of Archaeological Site Museums	Rate of Entry Tickets	Remarks
1.	Hazarduari Palace & Museum, Dist. Murshidabad	Rs. 25 per head for citizens of Indian/SAARC/BIMSTEC Countries. Rs. 300 for Foreigner	Entry fees for others, apart from citizens of Indian/SAARC/BIMSTEC, who are desirous of availing additional
2.	Cooch Behar Palace Museum, Dist. Cooch Behar	Rs. 25 per head for citizens of Indian/SAARC/BIMSTEC Countries. Rs. 300 for Foreigner	facilities as specified by the Director General, ASI, New Delhi by orders from time to time, will be Rs. 400/- per
3.	Bishnupur Group of Monuments, Bishnupur, Dist. Bankura	Rs. 25 per head for citizens of Indian/SAARC/BIMSTEC Countries. Rs. 300 for Foreigner	head.

You are requested to affix the copy of the Gazette Notifications in the conspicuous place in and around the ticketed monuments accordingly.

Encl: As stated above.

To,

- The Dy. Superintending Archaeologist Archaeological Survey of India Hazar Duari Palace Museum Dist. Murshidabad
- Shri Pankaj Kumar Das Sr. Conservation Assistant, ASI, Looch Behar Sub-Circle Dist. Cooch Behar
- 3. Shri Sunil Kumar K.M.
 Conservation Assistant
 ASI, Bishnupur Sub-Circle
 Bishnupur, Dist. Bankura

Superimending Archaeologist

Superintending Archaeologis

Mitch an Tinual The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2018/श्रावण 10, 1940

No. 528]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2018/SHRAVANA 10, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सा.का.िन. 726(अ).—यत: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप – धारा (1) के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आवश्यक संशोधन हेतु कुछ नियमों के प्रारूप भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सा.का.िन. 1539(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 21 दिसंबर, 2017 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित हुए थे जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी और एततद्वारा यह नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियम, इन प्रारूप नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे और तदनुसार उक्त राजपत्र को दिनांक 22 दिसंबर 2017 को पब्लिक डोमेन में रखा गया।

और यत: जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

अब, इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"6 प्रवेश शुल्क-पंद्रह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्मारक या उसके किसी हिस्से में:---

- (क) दिवतीय अनुसूची के भाग । में श्रेणी 'क' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्मारक में निम्नलिखित शुल्क अदा किये बगैर प्रवेश नहीं कर सकते :---
 - (i) भारत के नागरिक, तथा सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैंड) और भारत के प्रवासी नागरिक... 40/- रु. प्रति व्यक्ति,

बशर्ते कि (i) आगरा स्थित ताज स्मारक समूह; (ii) आगरा स्थित आगरा किला; (iii) फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी स्मारक; (iv) दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा और (v) दिल्ली के कुतुब मीनार के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा : -

- (क) नकद रहित भुगतान के लिए : 35/- रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) नकद भुगतान के लिए : 40/- रु. प्रति व्यक्ति

इसके अतिरिक्त यह भी कि दिल्ली में स्थित लाल किले के लिए, नकद रहित भुगतान के लिए 35/- रु. प्रति व्यक्ति और नकद भुगतान के लिए 50/- रु. प्रति व्यक्ति शुल्क होगा।

- (ii) अन्य [उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा सभी देशों के नागरिकों के लिए] 600/- रु. प्रति व्यक्ति। बशर्ते कि (i) आगरा स्थित ताज स्मारक समूह; (ii) आगरा स्थित आगरा किला; (iii) फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी स्मारक; (iv) दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा (v) दिल्ली के कुतुब मीनार और (Vi) दिल्ली स्थित लाल किले के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा: -
- (क) नकद रहित भुगतान के लिए : 550/- रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) नकद भुगतान के लिए: 600/- रु. प्रति व्यक्ति
- (iii) अन्य [उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के नागरिक जो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर आदेशों द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाऐं प्राप्त करने के इच्छुक हों]:

......850/- रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि (i) आगरा स्थित ताज स्मारक समूह; (ii) आगरा स्थित आगरा किला; (iii) फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी स्मारक; (iv) विल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा (v) दिल्ली के कुतुब मीनार और (vi) दिल्ली स्थित लाल किले के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा: -

- (क) नकद रहित भुगतान के लिए : 800/- रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) नकद भुगतान के लिए: 850/- रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर द्वितीय अनुसूची के भाग।। में श्रेणी 'ख' के रूप में निर्दिष्ट स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकते: -
 - (i) भारत के नागरिक, तथा सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैंड) और भारत के प्रवासी नागरिक... 25/- रु. प्रति व्यक्ति,

"बशर्ते कि (i) सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा एवं मरियम का मकबरा (ii) इत्माद-उद-दौला का मकबरा एवं रामबाग (iii) आगरा स्थित मेहताब बाग में स्मारक समूह (iv) दिल्ली स्थित जंतर-मतंर (v) दिल्ली स्थित खान-ए-खाना, (vi) दिल्ली स्थित पुराना किला, (vii) दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला (viii) दिल्ली स्थित कोटला फिरोजशाह और (ix) दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा :—

- (क) नकद रहित भुगतान के लिए : 20/ रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) नकद भुगतान के लिए: 25/- रु. प्रति व्यक्ति
- (ii) अन्य [उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए]... 300/- प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि (i) सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा एवं मरियम का मकबरा (ii) इत्माद-उद-दौला का मकबरा एवं रामबाग (iii) आगरा स्थित मेहताब बाग में स्मारक समूह (iv) दिल्ली स्थित जंतर-मतंर (v) दिल्ली स्थित खान-ए-खाना, (vi) दिल्ली स्थित पुराना किला, (vii) दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला (viii) दिल्ली स्थित कोटला फिरोजशाह और (ix) दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा: -

- (क) नकद रहित भुगतान के लिए : 250/ रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) नकद भुगतान के लिए : 300/- रु. प्रति व्यक्ति
- (iii) अन्य [उपर्युक्त (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार जो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर आदेशों द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाऐं प्राप्त करने के इच्छुक हों]: -

400/- रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि (i) सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा एवं मरियम का मकबरा (ii) इत्माद-उद-दौला का मकबरा एवं रामबाग (iii) आगरा स्थित मेहताब बाग में स्मारक समूह (iv) दिल्ली स्थित जंतर-मतंर (v) दिल्ली स्थित खान-ए-खाना, (vi) दिल्ली स्थित पुराना किला, (vii) दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला (viii) दिल्ली स्थित कोटला फिरोजशाह और (ix) दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा: -

- (क) नकद रहित भुगतान के लिए : 350/ रु. प्रति व्यक्ति
- (ख) नकद भुगतान के लिए : 400/- रु. प्रति व्यक्ति

[फा. सं. 9/3/2012-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

पाद टिप्पणी : प्रधान नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2036 दिनांक 15 अक्तूबर 1966 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:

- (i) का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
- (i) सा.का.नि. 663 दिनांक 1 मई, 1967
- (ii) का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
- (iii) सा.का.नि. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991
- (iv) सा.का.नि. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996
- (v) सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
- (vi) सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
- (vii) सा.का.नि. 848(अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
- (viii) का.आ. 10(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
- (ix) सा.का.नि. 688(अ) दिनांक 24 सितंबर, 2001
- (x) सा.का.नि. 372(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
- (xi) सा.का.नि. 37(अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008
- (xii) सा.का.नि. 631(अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012 तथा
- (xiii) सा.का.नि. 391(अ) दिनांक 31 मार्च, 2016

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

G.S.R. 726(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 were published as required under sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st December, 2017 vide notification of the Government of India, in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, number G.S.R. 1539 (B), dated the 22nd December, 2017 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft rules shall come into force after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette of these draft rules are made available to the public and whereas the said Gazette was placed in the public domain accordingly on the 22nd December, 2017.

And whereas the objections/suggestions received from public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:---

RULES

- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:---
 - "6. Entrance fee No person above the age of fifteen years shall enter into a protected monument or part thereof -
- (a) specified as Category 'A' monuments in Part I of the Second Schedule except on payment of fees as under:-

Provided that for the monuments namely, (i) Taj group of monuments at Agra; (ii) Agra Fort at Agra; (iii) Fatehpur Sikri monuments at Fatehpursikri; (iv) Humayun's Tomb in Delhi; and (v) Qutub Minar in Delhi, fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment Rs. 35/- per head.

(b) For cash payment Rs. 40/- per head:

Provided further that for Red Fort in Delhi, the fees shall be Rs. 35/- per head for cashless payment and Rs.50/- per head for cash payment.

(ii) Others (all Nationals other than from countries mentioned in (i) above), -Rs. 600/- per head.

Provided that for the monuments namely, (i) Taj group of monuments at Agra; (ii) Agra Fort at Agra; (iii) Fatehpur Sikri monuments at Fatehpursikri; (iv) Humayun's Tomb (v) Qutub Minar and (vi) Red Fort in Delhi, fees shall be charged as under:---

(a) For cashless payment Rs. 550/- per head.

(b) For cash payment Rs.600/- per head.

(iii) Others (Nat	tionals as mentioned in	(ii) above, who	are desirous	of availin	g additional:	facilities
	the Director General,					
time),-	Rs.	850 per head:	•	•		

Provided that for the monuments namely, (i) Taj group of monuments at Agra; (ii) Agra Fort at Agra; (iii) Fatehpur Sikri monuments at Fatehpursikri; (iv) Humayun's Tomb (v) Qutub Minar and (vi) Red Fort in Delhi, fees shall be charged as under:---

(a) For cashless payment

....... Rs. 800/- per head.

(b) For cash payment

...... Rs. 850/- per head.

- (b), specified as Category 'B' monuments in Part II of the Second Schedule, except on payment of fees as under:---
 - (i) Citizens of India and visitors from SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand), and Overseas Citizens of India, Re. 257-per head?

"Provided that for the monuments namely, (i) Akbar's Tomb and Mariam's Tomb at Sikandra, (ii) Itimad-ul-Daula's Tomb and Rambagh, (iii) Group of monuments at Mehtab Bagh in Agra (iv) Jantar Mantar in Delhi, (v) Khan-i-Khana in Delhi, (vi) Purana Qila in Delhi, (vii) Tughluqabad Fort in Delhi, (viii) Kotla Ferozshah in Delhi and (ix) Safdarjung Tomb in Delhi, fees shall be charged as under:---

(a) For cashless payment

...... Rs. 20/- per head.

(b) For cash payment

....... Rs. 25/- per head.

(ii) Others (all Nationals other than from countries mentioned in (i) above),- ... Rs. 300/- per thead:

Provided that for monuments namely, (i) Akbar's Tomb and Mariam's Tomb at Sikandra, (ii) Itimadul-Daula's Tomb and Rambagh, (iii) Group of monuments at Mehtab Bagh in Agra (iv) Jantar Mantar in Delhi, (v) Khan-i-Khana in Delhi, (vi) Purana Qila in Delhi, (vii) Tughluqabad Fort in Delhi, (viii) Kotla Ferozshah in Delhi and (ix) Safdarjung Tomb in Delhi, fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment

...... Rs. 250/- per head.

(b) For cash payment

....... Rs. 300/- per head.

(iii) Others (as mentioned in (ii) above, who are desirous of availing additional facilities as specified by the Director General, Archaeological Survey of India, by orders from time to time),—

... Rs. 400/- per head: 8

Provided that for the monuments namely, (i) Akbar's Tomb and Mariam's Tomb at Sikandra, (ii) Itimad-ul-Daula's Tomb and Rambagh, (iii) Group of monuments at Mehtab Bagh in Agra (iv) Jantar Mantar in Delhi, (v) Khan-i-Khana in Delhi, (vi) Purana Qila in Delhi,

(vii) Tughluqabad Fort in Delhi, (viii) Kotla Ferozshah in Delhi and (ix) Safdarjung Tomb in Delhi, fees shall be charged as under:---

(a) For cashless payment

....... Rs. 350/- per head.

(b) For cash payment

........ Rs. 400/- per head. ".

[F. No. 9/3/2012-M]

USHA SHARMA, Director General

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2036, dated the 15th October, 1966 and subsequently amended vide—

- (i) S.O. 3520 dated the 20th November, 1966,
- (i) GS.R. 663, dated the 1st May, 1967,
- (ii) S.O. 935, dated the 16th February, 1971,
- (iii) GS.R. 90, dated the 30th January, 1991,
- (iv) GS.R. 306, dated the 10th July, 1996,
- (v) GS.R. 799(E), dated the 17th October, 2000,
- (vi) GS.R. 800(E), dated the 17th October, 2000,
- (vii) G.S.R. 848(E), dated the 3rd November, 2000,
- (viii) S.O. 10(E), dated the 5th January, 2001,
- (ix) GS.R. 688(E), dated the 24th September, 2001,
- (x) GS.R. 372(E), dated the 30th April, 2003,
- (xi) GS.R. 37(E), dated the 15th January, 2008, and
- (xii) GS.R. 631(E), dated the 13th August, 2012.
- (xiii) GS.R. 391 (E) dated the 31st March, 2016.